रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252270
CG-DL-E-21022024-252270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945
No. 108] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी 2024

सा.का.नि. 119(अ).—केंद्रीय सरकार, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में, प्ररूप 2 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"1 (घ) (i) सरोगेसी करवाने वाले दंपत्ति के पास आशय रखने वाले दंपत्ति के ही दोनों युग्मक होने चाहिए। तथापि, यदि जिला चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि आशय रखने वाले दंपति में से पति या पत्नी की ऐसी चिकित्सीय स्थिति है, जिसके कारण दाता युग्मक के उपयोग की आवश्यकता है, तो दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति इस शर्त के अधीन अनुज्ञात होगी कि सरोगेसी के माध्यम से जन्म होने वाले शिशु में आशय रखने वाले दंपत्ति से कम से कम एक युग्मक अवश्य हो;

(ii) सरोगेसी करवाने वाली एकल महिला (विधवा या जिसका विवाह-विच्छेद हो गया है) को सरोगेसी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए स्वयं के डिंब और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा;"।

[फा. सं. यू.11019/15/2022-एचआर (भाग-II)]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 21 जून 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 772 (अ) तारीख 10 अक्टूबर 2022, सा.का.नि. 179 (अ) तारीख 14 मार्च 2023, सा.का.नि. 415 (अ) तारीख 8 जून 2023 और सा.का.नि. 494 (अ) तारीख 11 जुलाई 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2024

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, in Form 2, in paragraph 1, for sub-paragraph (d), the following shall be substituted namely:-

"1(d)(i) couple undergoing surrogacy must have both gamete from the intending couple. However, in case when the District Medical Board certifies that either husband or wife constituting the intending couple suffers from medical condition necessitating use of donor gamete then surrogacy using donor gamete is allowed subject to the condition that the child to be born through surrogacy must have atleast one gamete from the intending couple;

(ii) single woman (widow or divorcee) undergoing surrogacy must use self eggs and donor sperms to avail surrogacy procedure;".

[F. No. U.11019/15/2022-HR (Part-II)]

RICHA KHODA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 460 (E), dated the 21st June, 2022 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 772 (E), dated the 10th October, 2022, G.S.R. 179 (E), dated the 14th March, 2023, G.S.R. 415 (E), dated the 8th June, 2023 and G.S.R. 494 (E), dated the 11th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA